

जयपुर में लागू हुई 'एकमुश्त ऋण समाधान योजना'

चर्चा में क्यों?

13 जुलाई, 2022 को राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी नगिम लिमिटेड जयपुर की ओर से ऋणियों के लिये 'एकमुश्त ऋण समाधान योजना-2022-23' लागू की गई।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का लाभ जयपुर जिले के ऋणी ले सकेंगे, जिसके तहत 31 मार्च, 2022 तक वितरित व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋणों के लाभार्थी दंडनीय ब्याज की छूट के लिये पात्र होंगे।
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शकील अहमद ने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी।
- योजना के तहत पात्र ऋणियों को अधिशेष राशि (मूल व ब्याज) एकमुश्त जमा कराने पर दंडनीय ब्याज की शत-प्रतिशत छूट देय होगी।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/one-time-debt-resolution-scheme>

